(b) to (d) The Transport Department of National Capital Tarritory of Delhi have created 77 posts for operating Mobile Inspection Squadas for conducting surprise checks of private buses. These Mobile squads have already started functioning.

Leasing out of Surplus land of Ports

1191. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to lease out the surplus land belonging to all the major ports of the country for commercial exploitation;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) to whom this land will be leased and under what terms and conditions of lease;

(d) what are the names of the ports selected for the purpose and the benefits to Government?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (d) Except for Calcutta Port Trust (CPI), there is no such proposal in respect of any other major port. In cases of CPI, it is envisaged to use surplus land in BBD Bag area and in Alipore Boat Canal areas for constructing commercial/ residential complex. It is proposed to grant lease in respect of built up areas only to prospective lesses such as public sector undertakings, financial institution, Calcutta Stock Exchange, Non-resident Indians and private parties. The project is being under-taken in association with Indian Road Constructions corporation (IRCC) and the net surplus revenue has been assessed at about Rs.700 crores to be shared between CPT. & IRCC. This is likely to improve the financial position of both these organisations.

गुजरात और उत्तर प्रदेश में राज्य के राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना

1192. **श्री राघ सिंह राठवा:**
श्री ईशदत्त यादव:

क्या **भूतल-परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई कितनी है और इन राज्यों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए उनकी लम्बाई कितनी होनी चाहिए;

(ख) किसी राज्य के राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने के क्या मापदण्ड हैं और क्या किसी राज्य के राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाते समय वहां के क्षेत्रफल, राष्ट्रीय सीमा, खनिज संपदा, और सड़कों के अभाव को भी ध्यान में रखा जाता है, और

(ग) यदि हां, तो राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई के बहुत कम होने के क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) गुजरात और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई क्रमशः 1631 कि॰ मी॰ तथा 2613 कि॰मी॰ है। नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा किसी क्षेत्र/प्रदेश/आवासी अथा राज्य स्तर के आधार पर नहीं की जाती है बल्कि स्थानीय आवश्यकताओं इत्यादि से भिन्न पूरे देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर की जाती है।

(ख) किसी सड़क की नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषणा अनेक कारकों अर्थात संसाधनों की उपलब्धता, नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों, राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों सड़क की अखिल भारतीय आधार पर पारस्परिक प्राथमिकता तथा रा॰रा॰ के लिए निम्नलिखित मानदण्डों पर निर्भर करती है:-

(i) देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली सड़कें।

(ii) पड़ौसी देश के साथ जोड़ने वाली सड़कें।

(iii) राज्य-राजधानियों को जोड़ने वाली सड़कें।

(iv) महापत्तनों और महत्वपूर्ण औद्योगिक अथवा पर्यटन केन्द्रों को जोड़ने वाले सड़कें।

(v) अत्यधिक महत्वपूर्ण सामारिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सड़कें।

(vi) पर्याप्त दूरी तक अधिक यातायात सघनता वाली सड़कें, और

(vii) ऐसी सड़कें जिनसे यात्रादूरी में कमी हो और उसके फलस्वरूप पर्याप्त आर्थिक बचत हो सके।

(ग) राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई, मध्य प्रदेश को छोड़कर, सभी राज्यों की तुलना में सर्वाधिक अर्थात 2931 कि०मी० है।

Development of New Port by Private Sector

1193. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government porpose to encourage private investment for the development of new port facilities and also to throw open select port operations to the private sector;

(b) whether the modalities have been fixed for the purpose;

(c) if so, the details thereof; and

(d) by when the process of private investment and private participation would commence?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) Government encourages private sector participation in the development of port facilities.

(b) and (c) Proposals are advertised for private sector participation and effors received are evaluated by the Port Trusts. Each case is decided on its merits.

(d) It is a continuing process.

1194. [*Transferred to 5th March, 1993*].

पौड़ी-गड़वाल में सड़कों को पक्का किया जाना

1195. **श्रीमती कैलाशपतिः** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पौड़ी गढ़वाल जनपद में वाणघाट कांसखेत-पौड़ी मार्ग को पक्का किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो कितने समय से इसे पक्का नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि इस मार्ग में खड़ी चढ़ाई है और वाहनों का इन पर चलना कठिन व जोखिम भरा है;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ वर्ष पूर्व इस सड़क को पक्का करने और चढ़ाई को कब करने से संबंधित कार्य आरंभ किया गया था लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया था; और

(ङ) क्या सरकार इस सड़क को पक्का करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार रखती है जिससे इस पर वाहन सुचारू रूप से चल सके, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) से (ङ) संवैधानिक रूप से भारत सरकार मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के लिए ही जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों को छोडकर अन्य सभी सड़कों का विकास राज्यीय क्रिया-कलापों के अंतर्गत आता है। चूंकि उत्तर प्रदेश की प्रश्नगत सड़क इस समय राज्य सड़क नेटवर्क का हिस्सा है इसलिए इसके रख-रखाव के लिए संबंधित राज्य सरकार जिम्मेदार है।

Transfer of Andaman-Calcutta Service to Andaman Administration

1196. SHIR RAMACHANDRAN PILLAI : Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Shipping Corporation of India has decided to transfer the Andaman-Calcutta service to Andaman Administration;

(b) if so, what are the reasons therefor;

(c) whether Government propose to review the position;